



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2010/आषाढ़ 8, 1932

No. 362]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 2010/ASADHA 8, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2010

सा.का.नि. 564(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसकी भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, सात दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

3. इन प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115ख में, "यानों के लिए जब वे संपीड़ित प्राकृतिक गैस (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् सीएनजी कहा गया है) पर चालित हों, द्रव्यमान उत्सर्जन मानक नहीं होंगे जो गैसोलीन यानों के लिए लागू है इस अपवाद के साथ कि हाइड्रोकार्बन के स्थान पर गैर-मीथेन हाइड्रोकार्बन (एनएमएचसी) प्रतिस्थापित करेंगे, जहां एनएमएचसी = $0.3 \times$ एचसी" के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :— "परंतु हाईड्रोजन के संमिश्रण के साथ संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), (एचसीएनजी) को सीएनजी के वैकल्पिक मिश्रण के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा : परंतु यह और कि जब वे हाईड्रोजन संमिश्रण के साथ संपीड़ित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) का उपयोग करते हैं तो क्रमशः यानों को इन नियमों के अधीन गैसोलीन या डीजल यानों को लागू द्रव्यमान उत्सर्जन मानक लागू होंगे : परंतु यह भी कि एचसीएनजी हाईड्रोजन का अंश 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"

[फा सं. आर टी- 11028/1/2010/एमवीएल]

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 504(अ), तारीख 15 जून, 2010 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT
AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2010

G.S.R. 564(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 52 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of sixty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government.

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Department of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 in rule 115 B, after the words, letters and figures "Mass emission standards for vehicles when operating on Compressed Natural Gas (hereinafter in this rule referred to as "CNG") shall be the same as are applicable for gasoline vehicles with the exception that HC shall be replaced by Non-Methane Hydrocarbon (NMHC), where $NMHC = 0.3 \times HC$," the following provisos shall be added, namely :

"Provided that Compressed Natural Gas (CNG) with the blends of Hydrogen (HCNG), shall be permitted for Motor vehicles as alternate composition of the CNG :

Provided further that Mass Emission standards applicable to gasoline or diesel vehicles under these Rules shall be applicable to respective vehicles when they use blend of Hydrogen with Compressed Natural Gas (HCNG) :

Provided also that Hydrogen content in HCNG shall not be more than 20%."

[F. No. RT-11028/1/2010-MVL]

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published *vide* number G.S.R. 590 (E), dated the 2nd June, 1989 and was last amended *vide* number G.S.R 504(E), dated 15th June, 2010.